

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 12 (352)/आयो/आकाशि/2019-04225 दिनांक: 25 मई, 2023

विषय:—मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 70/2023 दिनांक 19.05.2023 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय, नावां का नामकरण “श्रीमती रूकमणी देवी रामदेव लड़ा राजकीय महाविद्यालय, नावां सिटी “ करने का आदेश पृष्ठांकन बाबत।

संदर्भ:—सहायक शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग का आदेश क्रमांक प. 18(4)शिक्षा ग्रुप-3/2023 जयपुर, दिनांक 23.05.2023

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002
4. निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) पो.बॉक्स नं.1075 नागरभावी, बैंगलौर-560072
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, अजमेर।
7. प्राचार्य, श्रीमती रूकमणी देवी रामदेव लड़ा राजकीय महाविद्यालय, नावां सिटी।
8. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

**(डॉ.विमलेश सोनी)**

संयुक्त निदेशक (आयोजना)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Vimlesh Soni  
Designation : Associate Professor  
Date: 2023.05.25 14:47:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3906407



राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 18(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2023

जयपुर, दिनांक: 23.05.2023

**—: आदेश :-**

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या-70/2023 दिनांक 19.05.2023 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय, नावां का नामकरण “श्रीमती रूकमणी देवी रामदेव लढ़ा राजकीय महाविद्यालय, नावां सिटी” एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(लक्खी राम मीना)  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 70/2023 दिनांक 19.05.2023 के सन्दर्भ में।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/उप शासन सचिव।
9. समस्त जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अपने स्तर से भिजवाने का श्रम करावें।
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. प्राचार्य, श्रीमती रूकमणी देवी रामदेव लढ़ा राजकीय महाविद्यालय, नावां सिटी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जिला-नागौर।
16. रक्षित पत्रावली।

**Signature valid**

Digitally signed by Rakhi Ram Meena  
Designation : Assistant Secretary  
Date: 2023.05.23 18:20:33 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3894507

